4

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

उप– क्षेत्रीय कार्यालय

निधि भवन, ए–2सी, सैक्टर–24, नौएडा–201301 जिला गौतम बुद्ध नगर, (उ0 प्र0)

संख्या 8353 उ0 क्षे0 का0/नौएडा/कवरेज/यू0 पी0/49112 दिनांक 26.07.10 पंजीकृत/पावती सेवा से

मैसर्स Bajaj Energy (P) Ltd.
B-10, Sector-3
Noida

विषय – कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत रचित स्कीमों का मैसर्स As above पर लागू होना ।

महोदय,

1. आपके द्वारा दिनांक [ ] को प्रेषित विवरण / आपकी स्थापना का भविष्य स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा दिनांक 21072010 को किए गए निरिक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :–

(क) मैसर्स As above जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में स्थापनों की श्रेणीयों / अनुसूची–1 में अधिसूचित .... उद्यम में कार्यरत है संस्थान ने दिनांक 12072010 को 22 श्रमिक / व्यक्ति कार्यरत पाए गए।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं / विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं, दिनांक 12072010 से स्थायी / अस्थाई रूप से लागू होता है। अभिलेखों की जाँच अभी की जानी है।

आपकी स्थापना को कोड सं0 यू0पी0 49112 – आवंटित की जाती है। अधिनियम की धारा 1(4) अर्न्तगत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपको स्थापना पर लागू करने के लिए आपके पत्र संख्या [ ] दिनांक [ ] के सन्दर्भ में मैं आपको स्थापना अर्थात .... को कोड संख्या यू. पी. [ ] आवटित किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से .... लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि ओर उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा–1 उप धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर देती।

2. आपकी स्थापना का कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ओर उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपलब्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्घृत किया जाना चाहिए।

3. नियोक्त द्वारा अंशदान, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद सहित) ओर पिर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 10% से 12% की दर से प्रतिमाह देय है। कर्मचारी द्वारा अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के समान होगी। यह भविष्य निधि खाता सं0 1 में जमा किया जायेगा। इसमें 8.33% कर्मचारी अंशदान योजना के खाता संख्या 10 में जमा किया जाना है।

(अ) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता आदि, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।

(ब) प्रत्येक अंशदान की गणना नजदीक रूपये में अर्थात 50 पैसे या अधिक को एक रूपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

(स) अंशदान की संगणना हेतु वेतन की नजदीकी रूपये अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रूपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

4. सदस्य को देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से वेतन काटे और अंशदान तथा प्रशासकिय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक मे निधि के लेखों में सम्बन्धित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें –

(अ) क0 भ0 नि0 अंशदान — क0 भ0 नि0 लेखा सं0 में जमा कराया जाए।

(ब) प्रशासकीय प्रभार — क0 भ0 नि0 लेखा सं0 2 में जमा कराया जाए।

(स) पेंशन अंशदान — क0 भ0 नि0 लेखा सं0 10 में जमा कराया जाए।

टिप्पणी :

(i) प्रशासकिय प्रभार की दर 1-8-98 से वेतन, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, का 1.10% है जो न्यूनतम 5 रूपये है।

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाए यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करानी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहां से वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी।

5 उल्लिखित लेखा संख्या 1,2 व 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(अ) निक्षेप सहबद्ध बीमा लेखा संख्या 21 – इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य से खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई हो, की कुल राशि को 0.5% होगा।

(ब) क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22 – इस लेखे में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है कि कुल राशि का 0.01% होगा।

उपरोक्त लेखों अर्थात 1,2,10,21 और 22 में राशि चालान के माध्यम से जमा कराई जायेगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियां फार्म संख्या 12 क (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

6. आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :

(i) क० भ० नि० स्कीम, 1952 के अर्न्तगत फार्म सं० 9 तथा पे० स्कीम, 1995 – ये रिटर्न केवल कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्टरी/स्थापना को स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाता अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए हैं।

(ii) क० भ० नि० स्कीम और पैं० निधि के अर्न्तगत फार्म संख्या 2 – ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते हैं।

(iii) फार्म सं० 5–क – ये दोनो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

(iv) फार्म सं० 3ए – ये फार्म प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्टरी स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म भ० नि० में किए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टि करनी होती है।

(v) फार्म सं० 6ए – यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म–3ए के साथ (फरवरी माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च से अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

(vi) फार्म सं० 12ए– यह अंशदान का मासिक रिर्टन फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारिख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि के सम्बन्धित चालान की तृतीय प्रति इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(vii) फार्म सं० 5 ओर 10 –. यह उन कर्मचारीयों से सम्बन्धित रिर्टन है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड जाते हैं। और अगले माह की 15 तारिख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 पेंशन निधि स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्ध 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निःशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

8. पेंशन निधि अंशदान के सम्बन्ध में इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए ओर सम्बन्धित फार्मों में अलग से दिखाकर.......................... केवल इस माह से लेखा सं० 10 में जमा कराया जाना चाहिए होता है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित...................................से....................................की बकाया राशि..को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं० 9 दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि सं० 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जानी और चालान की तृतीय प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविश्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि के सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए।राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें।

मनोरंजन कुमार
(सहायक/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त)

प्रतिलिपि :

1. श्री/श्रीमती.....Surendra Kumar.....प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है, उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म–5–क की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त करें। कृपया एक माह के भीतर अन्तिम आवृत्त सम्बधी आख्या अवश्य दें।

2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय..(✗ यह समझा जाता है कि इस फैक्टरी/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अन्तरित किया जाना है। इस ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाय)

3 ई० डी० पी० सैल।

4 स० भु० अ० नोएडा।

(सहायक/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त)